

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.16(परिपत्र)विधि/निकाशि/11/

दिनांक

परिपत्र

समस्त प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय,

विषय:- अधिनस्थ न्यायालयों में लम्बित विभागीय प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति बाबत ।

सन्दर्भ:- परिपत्र क्रमांक एफ.16 (परिपत्र)विधि/निकाशि/11/539 दि.4.8.2011

इस कार्यालय के सन्दर्भित परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जाता है कि विभिन्न अधिनस्थ न्यायालयों में लम्बित विभागीय प्रकरणों में जिन महाविद्यालयों में उपाचार्य पद सृजित है, वहाँ पर उपाचार्य को एवं जहाँ उपाचार्य का पद सृजित नहीं है, वहाँ पर महाविद्यालय में कार्यरत चरिष्ठतम व्याख्याता को प्राचार्य के स्थान पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य को दिया जाता है ।

६०

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक: एफ.16(परिपत्र)विधि/निकाशि/11/ 968-975 दिनांक 21-12-2011
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त निदेशक (संस्थापना,कार्मिक,अनुदान,आयोजना एवं समन्वयक,अकादमी)
- 2- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता,निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कालेज शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें ।
- 3- श्रीमती चन्दन बाला कनिष्ठ लिपिक को सम्बन्धित पत्रावली लगाने हेतु ।
- 4- रक्षित पत्रावली ।

21/12/2011

उपविधि परामर्शी,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।